15

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः–एफ.951 (19) (41)परावि/लेखा/नि. आ./बजट घोषणा/2022 –23/623 दिनांकः– 7/4/2022

:–अधिसूचनाः–

राजस्थान पंचायतीराज राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व मे जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.951(19)( )परावि/लेखा/नि.आ./जिला परिषद/सुविधा/7204 दिनांक 11.10.2017 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं पूर्व मे जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.951(19)( )परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2012–13/2494 दिनांक 01.04.2013 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओ के प्रतिनिधियों को देय बैठक भत्तों की दरों में माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अनुसार निम्न संशोधन किया जाता है।

मानदेय की दरें:–

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रू. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रू.प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	10,000/–	12,000/–
प्रधान, पंचायत समिति	7000/–	8400/–
सरपंच, ग्राम पंचायत	4000/–	4800/–

बैठक भत्तों की दरें:–

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय राशि	संशोधित बैठक भत्ता की दर रू.
1.	2.	3.
सदस्य,जिला परिषद	500/–	600/–
सदस्य, पंचायत समिति	350/–	420/–
सदस्य, ग्राम पंचायत	200/–	240/–

जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 332200190 दिनांक 23.03.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2022 से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से

(पी.सी.किशन)
शासन सचिव